

**न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश**

प्रकरण क्रमांक : 1581/2013

संस्थापन दिनांक 18.12.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

- 1—जयवीर पुत्र रामस्वरूप यादव उम्र 35 साल
 - 2—रमेश पुत्र नारायणसिंह यादव उम्र 50 साल
 - 3—अन्नू श्रीवास्तव पुत्र मुन्नालाल श्रीवास्तव उम्र 22 साल
 - 4—मनीष पुत्र सतेन्द्र श्रीवास्तव उम्र 23 साल
- निवासीगण कस्बा मौ थाना मौ जिला भिण्ड

— अभियुक्तगण

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

1. उपरोक्त अभियुक्तगण को राजीनामा के आधार पर धारा 294, 506 भाग दो भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया है शेष विचारणीय धारा 457 भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 28.10.13 को 21:55 बजे फरियादी वर्षा अ0सा01 की मिल गोदाम मण्डी के पास मौ जिला भिण्ड पर फरियादी वर्षा के मिल में चोरी कारित करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि गृहभेदन कारित किया।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी वर्षा अग्रवाल अ0सा01 ने अपने स्वामित्व का मील का गोदाम आरोपी विकास श्रीवास्तव को तीन हजार रुपये मासिक की दर पर किराये पर करीब दो वर्ष के लिए दिया था इसके अलावा व्यापार में घाटा होने की वजह से विकास ने उससे व उसके पति से कई किश्तों में करीब ढाई लाख रुपये उधार भी ले रखा था करीब तीन माह से विकास श्रीवास्तव बिना किसी को बताये मील व गोदाम में ताला लगाकर गायब हो गया कई बार संपर्क करने पर भी विकास व उसके परिवार का कोई पता नहीं चला तब उसने परिवार व समाज के लोगों को इकट्ठा कर पंचनामा बनाकर गोदाम व मील के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिये क्योंकि गोदाम के अंदर उसकी पचास विंटल सरसों रखी हुई थी। दिनांक 28.10.13 को फरियादी वर्षा अग्रवाल अ0सा01 को अपने परिचितों से फोन पर पता चला कि कुछ लोगों ने उसके स्वामित्व के

मील व गोदाम के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए हैं तब वह अपने भाई अतुल अ0सा02 व लोकेश अ0सा03 के साथ ग्वालियर से मौ आई और अपने गोदाम व मील में लगे तालों को चैक किया तो वो ताले उनके द्वारा लगे होना नहीं पाये गये। इसके बाद रात करीब 09:50 बजे वह अपने दोनों भाइयों के साथ कार में बैठी थी तभी उसने देखा कि तीन लोग उसके मील के दरवाजे पर आये और एक व्यक्ति ने ताला खोलकर शेष दो व्यक्तियों को मील के अंदर चोरी करने की नीयत से अंदर प्रवेश करवा दिया व बाहर से ताला लगा दिया। उसके भाई अतुल अ0सा02 व लोकेश अ0सा03 ने बाहर खड़े व्यक्ति से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो एक व्यक्ति ने कहा कि हमारा मील है हम जो चाहे वो करेंगे तब उसके दोनों भाई वापिस उसके पास आ गये तब उसने थाना मौ में सूचना दी तो थाना मौ की पुलिस बल मौके पर पहुंचा और पुलिस ने ताला तोड़कर गोदाम की सर्चिंग की तो दो व्यक्ति गोदाम में छिपे हुए मिले जिन्होंने अपना नाम जयवीर यादव तथा रमेश यादव होना बताया तथा यह भी बताया कि आरोपी विकास का भाई आरोपी मनीष उन्हें अंदर कर गया था तथा कह गया था कि तुम लोग तैयार रहना वह मौका देखकर ताला खोलकर सरसों निकलवा देगा। इसके बाद आरोपी विकास के परिवार का आरोपी अन्नू श्रीवास्तव उसके पास आया और बोला कि अगर पुलिस में रिपोर्ट करोगी तो जान से मार देंगे। तत्पश्चात श्रीमती वर्षा अग्रवाल अ0सा01 ने थाना मौ में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी-1 दर्ज कराई जिस पर आरोपीगण के विरुद्ध अप0क्र0 249/13 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरान्त आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपीगण ने आरोपित आरोप को अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपीगण की प्रतिरक्षा है कि उन्हें प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या घटना दिनांक 28.10.13 को 21:55 बजे फरियादी वर्षा अ0सा01 की मिल गोदाम मण्डी के पास मौ जिला भिण्ड पर फरियादी वर्षा के मिल में चोरी कारित करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रो गृहभेदन कारित किया ?

// विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी वर्षा अग्रवाल अ0सा01 ने कथन किया है कि वह आरोपीगण को नहीं जानती है केवल उनके नाम सुने हैं। तीन वर्ष पूर्व गोदाम विकास श्रीवास्तव को किराये पर दिया था जिसकी सरसों की फसल व पैसा जमा किया था। इसके बाद वह ताला लगाकर भाग गये तब गांव वालों ने बताया था कि उनके गोदाम के किरायेदार भाग गये हैं। तब वह गयी और पंचनामा बनाया और अन्य लोगों के साथ गोदाम का ताला खुलवाया और अपने ताले डाल दिए। विकास ने ताला तोड़ दिया जिसके बाद वह रात को फिर से आई और गाड़ी में बैठ गयी तब देखा कि कुछ लोग शटर के पास खड़े हैं परन्तु वह किसी को नहीं देख पाई उसके साथ जो भैया था उन्होंने बताया था। उसके भाई उसे पुलिस के पास लेकर गये जहां क्या लिखापट्टी हुई उसे नहीं पता। रिपोर्ट प्र0पी-1, नक्शामौका प्र0पी-2, गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी- 3 लगायत 5 व पंचनामा प्र0पी-6

के क्रमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस जहां-जहां हस्ताक्षर करवाती गयी वह करती गयी। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि घटना दिनांक को फोन लगाकर पुलिस को घटना बतायी थी। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि पुलिस मौके पर आई थी तब गोदाम पर रामस्वरूप, व रमेश उसके गोदाम के अंदर पाये थे। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि मनीष ने कहा था कि मौका देखकर सरसों निकाल लेंगे। इस सुझाव से भी इंकार किया है कि अन्नू श्रीवास्तव मौके पर पकड़ गया था और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर क्रमशः कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-7 व रिपोर्ट प्र0पी-1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

6. अतुल अ0सा02 व लोकेश अ0सा03 ने घटना की जानकारी होने से इंकार किया है और फरियादी वर्षा अ0सा01 को पहचानना स्वीकार किया है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि तीन लोग वर्षा अ0सा01 के गोदाम पर आये थे और एक व्यक्ति ने ताला खोलकर दो व्यक्तियों को चोरी की नीयत से मिल के अंदर प्रवेश करा दिया और मनीष ने कहा कि मौका देखकर सरसों निकलवा दूंगा। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-8 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
7. अतः मामले के प्रत्यक्ष साक्षी व संपत्ति के स्वामी और फरियादिया वर्षा अ0सा01 व साक्षी अतुल अ0सा02 व लोकेश अ0सा03 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है और स्पष्ट इंकार किया है कि आरोपीगण ने वर्षा अ0सा01 के मिल में चोरी कारित करने के आशय से प्रवेश कर रात्रो गृहभेदन कारित किया। उक्त तीनों साक्षीगण महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष साक्षी हैं जिनके द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। वर्षा अ0सा01 ने मात्र अनुश्रुत साक्ष्य पेश की है परन्तु अपने भाई लोकेश अ0सा03 से जानकारी प्राप्त होना बतायी है। लेकिन लोकेश अ0सा03 ने भी आरोपीगण का मिल में प्रवेश करने का कथन नहीं किया है। अतः प्रत्यक्ष साक्षीगण व फरियादी द्वारा ही अभियोजन मामले का समर्थन न किए जाने के परिणामस्वरूप अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपीगण ने दिनांक 28.10.13 को 21:55 बजे फरियादी वर्षा अ0सा01 की मिल गोदाम मण्डी के पास मौ जिला भिण्ड पर फरियादी वर्षा के मिल में चोरी कारित करने के आशय से सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रो गृहभेदन कारित किया।
8. परिणामतः आरोपीगण को धारा 457 भा.द.स. के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
9. आरोपीगण के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
10. प्रकरण में कोई जप्तशुदा संपत्ति नहीं है।

दिनांक :-

सही / -

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहद जिला भिण्ड म0प्र0